राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई/M-1/बैठक/2017–18 जयपुर, दिनांक 14 अगस्त,2017

– :: विडियों कान्फ्रेसिंग दिनांक 08.08.2017 का कार्यवाही विवरण :: –

ग्रामीण आवासीय योजनाओं (IAY/CMBPL/PMAY-G) की प्रगति के सम्बंध में शासन सचिव महोदय, ग्रावि की अध्यक्षता में जिलों के अधिशाषी अभियंता (अभि.) /आवास प्रभारी अधिकारियों के साथ दिनांक 08.08..2017 को विडियों कान्फ्रेसिंग आयोजित की गई।

विडियो कॉन्फेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को बकाया किश्त हस्तान्तरण, वर्ष 2017–18 के आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी करने एवं विभिन्न आवासीय योजनाओं (IAY/CMBPL) के अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त शासन सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आवासों के प्रथम एवं द्वितीय किश्त हस्तान्तरण की कम प्रगति को गंभीरता से लेते हुए सभी आवासों की प्रथम किश्त दिनांक 16.08.2017 तक एवं द्वितीय किश्त 31.8.2017 तक हस्तान्तरित की जावे एवं वर्ष 2016–17 में स्वीकृत सभी आवासो को अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2017–18 में लक्ष्यों के विरूद्ध जारी स्वीकृतियों की प्रगति पर चर्चा उपरान्त सभी स्वीकृतियां दिनांक 31.8.2017 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. विभिन्न आवासीय योजनाओं (IAY/CMBPL) के अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण कराये जावें।
4. प्रगति की समीक्षा उपरान्त जिला परिषद् के आवास प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले की सबसे कम प्रगति वाली एक पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं प्रत्येक पंचायत समिति में सबसे कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के कम से कम दो ग्राम सेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावें।
5. सभी जिलों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की सफलता की कहानिया भिजवाने हेतु कहा गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(के.के.शर्मा) 14/8
अधीक्षण अभियंता ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को विभागीय वेब–साइट पर अपलोड कराने बाबत्।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।
6. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/आवास प्रभारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)